मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
भोपाल, दिनांक 07/02/2022

कमांड एक 1-4/2021/एक(1)

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल

विषय — "विमुक्त, घुमक्कड एवं अद्ययमक्कड जनजाति विमान" का नाम परिवर्तित कर "घमन्तु और अद्ययमन्तु जनजाति विमान" करने हेतु कार्य आयातन नियम में संशोधन।

-00--

उपरोक्त विषय में अवगत कराया जाता है कि कार्य आयातन नियम में संशोधन कर "विमुक्त, घुमक्कड एवं अद्ययमक्कड जनजाति विमान" का नाम परिवर्तित कर "घमन्तु और अद्ययमन्तु जनजाति विमान" किया गया है। उक्तालय की अधिसूचना, शासकीय केंद्रीय मुद्रालय द्वारा असाधारण राजनीति कमांड 62 दिनांक 03.02.2022 को शासकीय केंद्रीय मुद्रालय की वेबसाइट www.govtpress.nic.in में पीडीऍफ़ करा दी गई है।

2/

अतः उक्त अधिसूचना की प्रति उपरोक्त वेबसाइट पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध है।

(रजनी पोटने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 67/02/2022

कमांड एक 1-4/2021/एक(1)
प्रति,

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव, समस्त मंत्री/राजमंत्रीगण, मध्यप्रदेश
5. आयक, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, व्यापार
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव (कार्यकारी) मं.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
8. प्राधिकरण महाविकार, मध्यप्रदेश, व्यापार
9. रजिस्ट्रीर जनरल, मध्यप्रदेश उच्च व्यापारलय, जबलपुर
10. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
11. समस्त संभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
14. अवर सचिव(स्था.) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 फEBRUARY 2022—खंड 14, शक 1943

सामान्य प्रशसन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 फEBRUARY 2022

क्र. एक 1-4-2021—एक—(1).—भारत के संविधान से अनुकृत 166 के खण्ड (२) एवं (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में विलिंगित और संशोधन करते हैं, अर्थातः—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-2 में, अनुकृतकांक बासह और उसके संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निर्दिष्टित अनुकृतकांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित कराए, अर्थातः—

"बासह—पुनःस्थल और अर्थसुधार जननाथ"

2. अनुसार में, विलिंगित शीर्षक "बासह—विलिंगित, पुनःस्थल एवं अर्थसुधार जननाथ कर्तव्य विभाग" के स्थान पर, निर्दिष्टित शीर्षक न्योजित किया जाए, अर्थातः—

"बासह—पुनःस्थल और अर्थसुधार जननाथ विभाग"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फEBRUARY 2022

क्र. एक 1-4-2021—एक—(1).—भारत के संविधान के अनुसरण 348 के खण्ड (३) के अनुसार में, इस विभाग की लघुस्थिता क्र. एक 1-4-2021—एक—(१), दिनांक 3 फEBRUARY 2022 का अंकजीव अनुसरण कार्यकार के प्रशसन से एड्सतारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

123
Bhopal, the 3rd February 2022

No. F. 1-4-2021-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. in rule 2, for serial number LXII and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely:—

   "LXII. Nomadic and Semi-Nomadic Tribe”.

2. in the Schedule, for the existing heading "LXII. DENOTIFIED, NOMADIC AND SEMI-NOMADIC TRIBE WELFARE DEPARTMENT”, the following heading shall be substituted, namely:—

   "LXII. NOMADIC AND SEMI-NOMADIC TRIBE DEPARTMENT”:

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

GIRISH SHARMA, Dy. Secy.